प्र0 प्रति (10)

न्यायालय उपजिलाधिकारी चौरीचौरा गोरखपुर

वाद संख्या 30 /2013
स्व0रामरहस्य महाविद्यालय
ग्राम–सिंहपुर तहसील–चौरीचौरा
बजरिये मुख्य न्यासी प्रबन्धक
ग्रीसराज त्रिपाठी।
बनाम
सरकार

अर्न्तगत धारा 143 ज0 वि0 अधिनियम
बावत मौजा–सिंहपुर
तप्पा–रसूलपुर परगना हवेली तहसील
चौरीचौरा जनपद गोरखपुर।

निर्णय

प्रस्तुत वाद दिनांक 15.12.2012 दाखिल कर वादी ग्रीसराज [illegible] त्रिपाठी निवासी–शिवपुर सहवाजगंज सेक्टर नं0 3 शहर गोरखपुर ने ग्राम–सिंहपुर मे स्थित [illegible] गाटा संख्या 1137मि0/0.121है0, 1126/0.027है0, 1138/0.496है0, 1129/0.150है0, [illegible] 154है0, 1131/0.215है0 भूमि पर कृषि कार्य न होने के कारण मौके पर चारों तरफ बाउन्ड्रीवाल व दीवाल बनाकर गेट लगा लिया गया है। वर्तमान समय में कोई कृषि कार्य नही किया जाता है। उक्त भूमि कृषिक न होकर अकृषिक हो चुकी है। विवादित भूमि को स्थलीय जॉच कराकर अकृषिक प्रयोजन की भूमि/आबादी भूमि घोषित करने हेतु अनुरोध किया है।

उक्त प्रार्थना पत्र की जॉच तहसीलदार चौरीचौरा से करायी गयी। तहसीलदार [illegible] द्वारा जाचोपरान्त अपनी आख्या दिनांक 23.05.2013 प्रेषित किया गया है जिसमे यह उल्लेख [illegible] किया गया है कि उक्त भूमि का स्थलीय सत्यापन किया गया। उपरोक्त गाटो पर वर्तमान [illegible] चारो तरफ बाउन्ड्रीवाल व दीवाल बनाकर गेट लगा हैं, तथा अर्द्धनिर्मित आवास बना है [illegible] मौके पर आबादी जो चुकी हैं। कृषिक उपयोग न होने के कारण अकृषिक रुप से [illegible] जा रहा हैं।

मैने पत्रावली एवं उसपर प्रस्तुत नियत प्रारुप–135 अन्तर्गत [illegible] 143 ज0वि0अधिनियम पर तहसीलदार की जॉच आख्या दिनांक 23.05.2013 एवं खतौनी [illegible] पुर का अवलोकन किया गया, जिससे स्पष्ट होता है कि वर्तमान समय में उक्त भूमि पर [illegible] बाउन्ड्रीवाल व दीवाल बनाकर गेट लगा है, तथा उसपर आवास बना हुआ है, जो अकृषिक [illegible] मे प्रयोग किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में विवादित भूमि को अकृषिक घोषित किये जाने में कोई विधिक अडचन प्रतीत नही होता है। इस प्रकार तहसीलदार चौरीचौरा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट [illegible] 23.05.2013 स्वीकृत किये जाने योग्य है।

आदेश

तहसीलदार चौरीचौरा की जॉच रिपोर्ट दिनांक 23.05.2013 स्वीकार किया [illegible] ग्राम–सिंहपुर, तप्पा–रसूलपुर, परगना–हवेली, तहसील–चौरीचौरा, जनपद–गोरखपुर [illegible] 1137मि0/0.121है0, 1126/0.027है0, 1138/0.496है0, 1129/0.150है0, [illegible] 1131/0.215है0 यानि कुल रकबा 1.163है0 भूमि पर कृषि कार्य न होने के कारण [illegible] किया जाता है। आदेश की प्रमाणित प्रति उप निबन्धक चौरीचौरा को प्रेषित की [illegible] परवाना जारी हो। वाद अमलदरामद पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक– 23-5-2013

(मोतीलाल सिं[illegible])
उपजिलाधिकारी चौरीचौरा
गोरखपुर

प्रबन्धक
स्व0 रामरहस्य महाविद्यालय
सिंहपुर हरैया, चौरी चौरा
गोरखपुर

प्रमाणित

07/8/13